ावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं करे, ना ही प्रार्थी के ब्जे काश्त व हिस्से की भूमि में दखलंदाजी नहीं करे, ना ही भूमि वादग्रस्त को खुर्द–बुर्द रे, ना ही किस्म परिवर्तन करे। अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वे आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करें, मौका व रिकॉर्ड की यथाथिति नाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 16.03.2022 को न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विवादित ाराजी पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील जिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तथा 10, 11 व 18 ता 20 के रूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 था 12 लगायत 14 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जबाब पेश नहीं कर सिधे ही वेदन किया है कि उक्त सम्पूर्ण आराजी का मनबट के आधार पर हिस्से अनुसार विभाजन रखा है और काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान पाबन्द किये जाता है। तो अप्रार्थीगण अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं होने में अपनी हमति जाहिर की।

पत्रावली पर उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 0.1517 है0, ख.न. 884 रकबा 1.4162 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5679 है0 स्थित ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 तथा खसरा नम्बर 876 रकबा 4.3752 है0 स्थित ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के हक में सिद्ध होता है।

<u>सुविधा का संतुलनः</u>– आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।

<u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>– चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम बैनाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 0.1517 है0, ख.न. 884 रकबा 1.4162 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5679 है0 तथा खसरा नम्बर 876 रकबा 4.3752 है0 का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलंदाजी नहीं करे ना ही दीगर से करावें एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण